पत्रांक–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि० (स्था०)–11 / 2024(खण्ड–I)4621 /

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

———

प्रेषक,

रश्मि
उप निदेशक

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–02/11/20

विषयः– **बिहार राज्य अल्पसख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा, किशनगंज, नालन्दा, कैमूर, जमुई मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियाँ (कैम्प–कटिहार), सहरसा (कैम्प–सुपौल), मुंगेर (कैम्प–जमुई), पूर्वी चम्पारण (कैम्प–मुजफ्फरपुर) एवं रोहतास (कैम्प–कैमूर) के अंतर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत्त उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित) / माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने के संबध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है बिहार राज्य अल्पसख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा, किशनगंज, नालन्दा, कैमूर, जमुई मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियाँ (कैम्प–कटिहार), सहरसा (कैम्प–सुपौल), मुंगेर (कैम्प–जमुई), पूर्वी चम्पारण (कैम्प–मुजफ्फरपुर) एवं रोहतास (कैम्प–कैमूर) के वर्ग–09वीं से 12वीं (कला / विज्ञान संकाय) हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) एवं माध्यमिक शिक्षक को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार आवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि 16.10.2026 से 02.11.2026 तक को दिनांक–17.11.2026 तक विस्तारित करने संबंधी विज्ञापन प्रकाशन की सामग्री (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित) संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि इसका प्रकाशन राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

2.11.26

उप निदेशक

165

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

बिहार राज्य अल्पसख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा, किशनगंज, कैमूर, नालंदा, जमुई, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियाँ (कैम्प–कटिहार), सहरसा (कैम्प– सुपौल), मुंगेर (कैम्प–जमुई), पूर्वी चम्पारण (कैम्प–मुजफ्फरपुर) एवं रोहतास (कैम्प–कैमूर) के अंतर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यपक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विज्ञापन

बिहार राज्य अल्पसख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा, किशनगंज, कैमूर, नालंदा, जमुई, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियाँ (कैम्प–कटिहार), सहरसा (कैम्प– सुपौल), मुंगेर (कैम्प–जमुई), पूर्वी चम्पारण (कैम्प–मुजफ्फरपुर) एवं रोहतास (कैम्प–कैमूर) के अंतर्गत वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत 10+2/उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के परिपत्र संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित शर्तों एवं राज्य सरकार के निर्धारित रोस्टर बिन्दु के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–PR.No-013635 (MWD) 2026–27 द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक–17.11.2026 तक विस्तारित किया जाता है।

उक्त आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/निदेशालय, प्रथम तल, चतुर्थ ब्लॉक, पुराना सचिवालय, पटना–800015 में कार्य दिवस में हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा किया जा सकता है।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय यथा–दरभंगा, किशनगंज, कैमूर, नालंदा, जमुई, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियाँ (कैम्प–कटिहार), सहरसा (कैम्प– सुपौल), मुंगेर (कैम्प–जमुई), पूर्वी चम्पारण (कैम्प–मुजफ्फरपुर) एवं रोहतास (कैम्प–कैमूर) की रिक्ति एवं आवेदन प्रपत्र की विस्तृत सूचनाएँ विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html पर भी देखी जा सकती है।

2.11.26

उप निदेशक

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक (10+2) शिक्षक (प्रशिक्षित)/माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि–16.10.2026 एवं अंतिम तिथि–17.11.2026

बिहार राज्य अल्पसख्यक आवासीय विद्यालय, दरभंगा, किशनगंज, कैमूर, नालंदा, जमुई, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, पूर्णियाँ (कैम्प–कटिहार), सहरसा (कैम्प– सुपौल), मुंगेर (कैम्प–जमुई), पूर्वी चम्पारण (कैम्प–मुजफ्फरपुर) एवं रोहतास (कैम्प–कैमूर) के अन्तर्गत वर्ग–09वीं से 12वीं (कला/विज्ञान संकाय) हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) एवं माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) हेतु शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत 10+2 विद्यालय/उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षकों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं०–1C000, दिनांक–10.07.2015 में निहित शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अधीन निम्नलिखित रोस्टर बिन्दु के अनुसार प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित) एवं माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) को संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र०	पद	विषय	(पदो की संख्या x जिला)	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण कोटि	महिला आरक्षण कोटि
1	प्रधानाध्यापक		01 (कैमूर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	08	UR-03, EBC-01, BC-01, SC-02, EWS-01	UR-01
1	उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित)	अंग्रेजी	01 (किशनगंज), 02 (नालन्दा), 02 (कैमूर), 02 (जमुई), 02 (मुजफ्फरपुर), 02 (कटिहार), 02 (पूर्णियाँ), 02 (सुपौल), 02 (सहरसा), 02 (मुंगेर), 02 (पूर्वी चम्पारण), 02 (रोहतास)	23	UR-08, EBC-04, BC-03, SC-03, ST-01, EWS-03, WBC-01	UR-02, EBC-01, BC-01. SC-01, EWS-01
2		हिन्दी	01 (नालन्दा), 02 (कैमूर), 02 (जमुई), 02 (मुजफ्फरपुर), 02 (कटिहार), 02 (पूर्णियाँ), 02 (सुपौल), 02 (सहरसा), 02 (मुंगेर), 02 (पूर्वी चम्पारण), 02 (रोहतास)	21	UR-07, EBC-04, BC-03, SC-03, ST-01, EWS-02, WBC-01	UR-02, EBC-01, BC-01, SC-01
3		उर्दू	01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	08	UR-04, EBC-01, BC-01, SC-01, EWS-01	UR-01,
4		गणित	01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	08	UR-03, EBC-01, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-01
5		भौतिक शास्त्र	01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	08	UR-03, EBC-01, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-01
6		रसायन शास्त्र	01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	10	UR-04, EBC-01 BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
7		वनस्पति विज्ञान	01 (जमुई), 01 (नालन्दा), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	09	UR-04, EBC-01, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-01
8		जीव विज्ञान	01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	11	UR-05, EBC-01, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
9		कम्प्यूटर	01 (किशनगंज), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	12	UR-05, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
10		इतिहास	01(किशनगंज), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	10	UR-04, EBC-02, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-01
11		भूगोल	01 (नालन्दा), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण),	10	UR-04, EBC-01, BC-02,	UR-01

कृ०पृ०उ०

			01 (रोहतास)		SC-02, EWS-01	UR-01
12		समाज शास्त्र	01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	11	UR-05, EBC-01, BC-02, SC-02, EWS-01	
13		राजनीति शास्त्र	01 (किशनगंज), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	10	UR-05, EBC-01, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-02
14		गृह विज्ञान	01 (किशनगंज), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	12	UR-05, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
15		मनोविज्ञान	01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	11	UR-05, EBC-01, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
16		अर्थशास्त्र	01 (किशनगंज), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	11	UR-04, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
			कुल	**185**		
17	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित्)	अंग्रेजी	01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01(मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	10	UR-04, EBC-01, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
18		हिन्दी	01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	08	UR-03, EBC-01, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-01
19		उर्दू	01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	09	UR-04, EBC-01, BC-02, SC-01, EWS-01	UR-01
20		अरबी	01 (दरभंगा), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01(जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	12	UR-05, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
21		फारसी	01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	11	UR-05, EBC-01, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-01
22		समाज शास्त्र	01 (दरभंगा), 01 (किशनगंज), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	13	UR-06, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-02
23		शारीरिक शिक्षा	01 (किशनगंज), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	12	UR-05, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-02
24		संगीत / कला	01 (दरभंगा), 01 (किशनगंज), 01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	13	UR-06, EBC-02, BC-02, SC-02, EWS-01	UR-02
25		कम्प्यूटर	01 (नालन्दा), 01 (कैमूर), 01 (जमुई), 01 (मुजफ्फरपुर), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	11	UR-05, EBC-01, SC-02, BC-02, EWS-01	UR-01
26		विज्ञान	01 (जमुई), 01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	08	UR-03, EBC-01, SC-01, BC-02, EWS-01	UR-01
		गणित	01 (कटिहार), 01 (पूर्णियाँ), 01 (सुपौल), 01 (सहरसा), 01 (मुंगेर), 01 (पूर्वी चम्पारण), 01 (रोहतास)	07	UR-03, EBC-01, SC-01, BC-01, EWS-01	UR-01
			कुल	**114**		

2. सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षक का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्त्ते रहेगीः–

"चयन हेतु सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षक की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षो अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।

3. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षकों को मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा, होने वाले देय होगा।

4. नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के लिए मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार देय होगा।

5. सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक/शिक्षक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं महालेखाकार से निर्गत सेवानिवृति प्रमाण पत्र (OPS/NPS) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा (विहित प्रपत्र–I एवं प्रपत्र–II विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html से डाउनलोड किया जा सकता है)।

6. सेवानिवृत्त शिक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय/विभाग में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में तिथि–17.11.2026 तक हाथों–हाथ अथवा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से जमा करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा।

8. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

9. चयनित प्रधानाध्यापक/शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने के स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नं० विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

10. चयनित प्रधानाध्यापक/शिक्षकों को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/निदेशालय/विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।

11. चयनित प्रधानाध्यापक/शिक्षकों की सेवा राज्य के किसी भी विभाग द्वारा संचालित अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में ली जा सकेगी।

12. विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

2.11.26

उप निदेशक